संगीता बनाम राज.सरकार
GCMS No- 2023/16
प्रकरण संख्या 8/2023

# न्यायालय उपखंण्ड अधिकारी निम्बाहेडा

## पीठासीन अधिकारी :– रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ (R.A.S.)

प्रकरण संख्या 8/2023
GCMS No- 2023/16

श्रीमति संगीताबाई पत्नी रामलालजी जाति कुमावत आयु 44 वर्ष निवासी बाडी तह0 निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ राज०

प्रार्थी

बनाम

राजस्थान सरकार जरीये तहसीलदार साहब, निम्बाहेडा जिला चित्तौडगढ

अप्रार्थी

**प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956**

उपस्थित :– 1– श्री विशाल कुमावत – अधिवक्ता प्रार्थी

::निर्णय:: दिनांक 16.05.2023

1. प्रकरण में संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि प्रार्थी ने एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956 का पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थी के संयुक्त खातेदारी स्वामित्व व आधिपत्य की आराजियात वाके मौजा बाडी पटवार हल्का बाडी तहसील निम्बाहेडा की आराजी जिसके नये खाता संख्या 449 के आराजी नं0 293 रकबा 0. 4900 हैक्टेयर लगानी 12 रुपये 50 पैसा जिसके पुराने आराजी नं0 100 आराजी नं० 295 रकबा 0.3900 हेक्टेयर लगानी 9 रुपये 95 पैसा जिसके पुराने आराजी नं0 102 आराजी नं0 296 रकबा 0.0900 हेक्टेयर लगानी 2 रुपये 30 पैसा जिसके पुराने आराजी नं0 103 कुल किता 3 कुल रकबा 0.9700 हेक्टेयर कुल लगानी 24 रुपये 75 पैसा भूमि स्थित हैं। उक्त आराजियात प्रार्थिया की क्रय शुदा आराजियात होकर प्रार्थिया के 1/4 हक हिस्से की हैं। साक्ष्य में नकल जमाबंदी व मिलान क्षेत्रफल पेश हैं।
2. यह कि उक्त आराजियात में से प्रार्थिया ने घीसालाल पुत्र हजारीलाल कुमावत निवासी बाडी का दर्ज 1/4 हक हिस्सा जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 21/04/2010 से क्रय कर कब्जा प्राप्त किया, जो प्रार्थिया के नाम राजस्व रेकार्ड में जरिये नामांतरण संख्या 1682 दिनांक 21/05/2010 से दर्ज हुई। उक्त आराजियात पुराने राजस्व रेकार्ड में दर्ज थी. परन्तु वर्तमान सेटलमेन्ट में राजस्व कर्मचारियों की गलती की वजह से उक्त आराजियात को गलत रुप से पूर्व खातेदार घीसालाल कुमावत के नाम पर दर्ज कर दी है। जबकि उक्त आराजियात प्रार्थिया की पंजीकृत विक्रय पत्र से क्रय शुदा आराजियात है जिसमे प्रार्थिया का 1/4 हक हिस्सा निहित है इसलिए नवीन राजस्व रेकार्ड में घीसालाल पिता हजारीलाल कुमावत के स्थान पर श्रीमति संगीताबाई पत्नि रामलालजी कुमावत का नाम नवीन राजस्व रेकार्ड में दर्ज कर दुरुस्त किया जाना न्याहित में आवश्यक हैं।
3. प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर्ड किया गया। विपक्षी को जरिये सूचना पत्र तलब किया गया, तहसीलदार निम्बाहेड़ा से तथ्यात्मक रिपोर्ट चाही गई। तहसीलदार निम्बाहेड़ा ने अपनी रिपोर्ट मय पर्चा एवं दस्तावेज के इस कार्यालय को प्रस्तुत की। तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट अनुसार प्र.स. 8/2023 में प्रार्थिया श्रीमती संगीताबाई पत्नि रामलाल कुमावत द्वारा भू–प्रबन्ध से पूर्व खातेदार श्री घीसालाल पिता हजारी कुमावत की आराजी न. 100,102,व,103 कुल किता 3 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा मे से हिस्सा 1/4 सम्पूर्ण क्रय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:06:54 IST
Reason: Self Attested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
निम्बाहेड़ा



Scanned with OKEN Scanner

किया गया था। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण संख्या 1682/25.05.2010 स्वीकृत होकर जमाबन्दी में अंकन हो चुका तत्कालीन समय में भू–प्रबन्ध प्रक्रिया होने से उक्त नामान्तरण का मिसल बन्दोबस्त में अंकन नही होकर पूर्ववत खातेदार श्री घीसालाल पिता हजारीलाल कुमावत के नाम ही दर्ज रहा। उपरोक्त आराजी के भू–प्रबन्ध पश्चात् नवीन आराजी न. 293,295 व 296 किता 03 रकबा 1.10 हेक्टयर बना। नामान्तरण सं. 613/29.11.2019 से आराजी न. 296 में से 0.13 हैक्टेयर भूमि NHAI के नाम अवाप्त होकर दर्ज हुई । वर्तमान में आराजी न. 293 रकबा 0.49 हे0. आराजी न. 295 रकबा 0.39 हे0 एवं आराजी न0 296 रकबा 0.09 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 0.97 हैक्टेयर में से हिस्सा 1/4 श्री घीसालाल पिता हजारी कुमावत के ही नाम दर्ज है। अतः उपरोक्त आराजी में श्री घीसालाल पिता हजारी कुमावत हिस्सा 1/4 के बजाय श्रीमती संगीता बाई पत्नि रामलाल कुमावत सा0 देह हिस्सा 1/4 के नाम दर्ज किया जाना उचित है।

4. हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। तहसीलदार निम्बाहेड़ा द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का ध्यानपूर्वक अध्ययन किया। तहसीलदार द्वारा अपनी रिपोर्ट में बताया कि प्रार्थिया श्रीमती संगीताबाई पत्नि रामलाल कुमावत द्वारा भू–प्रबन्ध से पूर्व खातेदार श्री घीसालाल/ हजारी कुमावत की आराजी न. 100,102,व,103 कुल किता 3 रकबा 4 बीघा 17 बिस्वा मे से हिस्सा 1/4 सम्पूर्ण क्रय किया गया था। रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के आधार पर नामान्तरण संख्या 1682/25.05.2010 स्वीकृत होकर जमाबन्दी में अंकन हो चुका तत्कालीन समय में भू–प्रबन्ध प्रक्रिया होने से उक्त नामान्तरण का मिसल बन्दोबस्त में अंकन नही होकर पूर्ववत खातेदार श्री घीसालाल पिता हजारीलाल कुमावत के नाम ही दर्ज रहा। उपरोक्त आराजी के भू– प्रबन्ध पश्चात् नवीन आराजी न. 293,295 व 296 किता 03 रकबा 1.10 हैक्टेयर बना। नामान्तरण सं. 613/29.11.2019 से आराजी न. 296 में से 0.13 हैक्टेयर भूमि NHAI के नाम अवाप्त होकर दर्ज हुई । वर्तमान में आराजी न. 293 रकबा 0.49 हे0. आराजी न. 295 रकबा 0.39 हैक्टेयर एवं आराजी न0 296 रकबा 0.9 हैक्टेयर कुल किता 3 रकबा 0.97 हैक्टेयर में से हिस्सा 1/4 श्री घीसालाल पिता हजारी कुमावत के ही नाम दर्ज है। अतः उपरोक्त आराजी में श्री घीसालाल पिता हजारी कुमावत हिस्सा 1/4 के बजाय श्रीमती संगीता बाई पत्नि रामलाल कुमावत सा0 देह हिस्सा 1/4 के नाम दर्ज किया जाना उचित है। अतः बाद पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज का अवलोकन करने एवं तहसीलदार निम्बाहेड़ा की रिपोर्ट का अध्ययन करने पर प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार करने का निर्णय लिया गया ।

## आदेश

5. अतः प्रार्थिया का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू–राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाता हैं । ग्राम बाडी की जमाबंदी 2077–80 की खाता स. 449 की आराजी 293 रकबा 0.49 हैक्टेयर आराजी नम्बर 295 रकबा 0.39 है0 आराजी नम्बर 296 रकबा 0.09 हैक्टयर कुल किता 3 रकबा 0.097 हैक्टेयर में घीसालाल पिता हजारी 1/4 कुमावत [illegible] के नाम दर्ज किये जाने के बजाय संगीता पत्नि रामलाल 1/4 कुमा[illegible] निर्णय अनुसार राजस्व रिकार्ड के आदेश प्रदान किये जा[illegible] हैं । तहसीलदार निम्बा[illegible] अमल दरामद करे।

निर्णय आज दिनांक 16.05.2023 को [illegible] कोर्ट बाड़ी लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो दाखील दफ्तर हो।

16/5/23
(रमेश सीरवी पुनाड़ियाँ)
उपखंड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी निम्बाहेड़ा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramesh Sirvi Punadia
Date: 2024.01.06 18:06:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner